

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.21(77)आजभूस/मुमंजस्वाअ/2018/20634-67। दिनांक : 19/02/2018

जिला कलक्टर,  
समस्त।

विषय :- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान तृतीय चरण के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान तृतीय चरण की डीपीआर वेटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां एमजेएसए पोर्टल से जिला स्तर से जारी की जानी है। प्रस्तावित कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम 25 प्रतिशत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक रूप से जारी की जावें।
2. समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां आगामी एक माह में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. जल संसाधन विभाग से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां सोमवार दिनांक 19 फरवरी, 2018 तक आवश्यक रूप से जारी कर दी जावें।

राज्य स्तर से अभियान में जारी किये जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रगति की समीक्षा उपरोक्त टाइमलाईन के अनुसार की जावेंगी। अतः निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।

(सुदर्शन सेठी) 19.2.20  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ.21(77)आजभूस/मुमंजस्वाअ/2018/20634-67। दिनांक : 19/02/2018  
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त।

  
आयुक्त